#### Central Goods & Services Tax Act. 2017

# Section 10: Composition levy

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, <sup>1</sup>[in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate] as may be prescribed, but not exceeding,
  - (a) one per cent. of the turnover in State or turnover in Union territory in case of a manufacturer,
  - <sup>2</sup>(b) two and a half per cent. of the turnover in State or turnover in Union territory in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II, and
  - **(c)** half per cent. of the turnover in State or turnover in Union territory in case of other suppliers,

subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:

**Provided that** the Government may, by notification, increase the said limit of fifty lakh rupees to such higher amount, not exceeding <sup>3</sup>[one crore and fifty lakh rupees], as may be recommended by the Council.

<sup>4</sup>[Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of schedule II), of value not exceeding ten per cent of turnover in a State or Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher.]

Substituted for "in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate", by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

<sup>2</sup> Following has been clarified by GST (Removal Of Difficulties) Order, 2019 [Order No. 1/2019-Central Tax], dt. 01-02-2019 that – it is clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account–

<sup>(</sup>i) For determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10;

<sup>(</sup>ii) In computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.

<sup>3</sup> Substituted for "one crore rupees" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 01-02-2019.

<sup>4</sup> Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 01-02-2019.

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

- <sup>5</sup>[Explanation For the purpose of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a state or Union territory.]
- (2) The registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if—
  - <sup>6</sup>[(a) save as provided in sub- section (1), he is not engaged in the supply of services:]
  - **(b)** he is not engaged in making any supply of goods <sup>7</sup>[or services] which are not leviable to tax under this Act;
  - (c) he is not engaged in making any inter-State outward supplies of goods <sup>8</sup>[or services];
  - (d) he is not engaged in making any supply of <sup>9</sup>[\*\*\*\* <sup>10</sup>[\*\*\*] services] through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52; <sup>11</sup>[\*\*\*\*]
  - **(e)** he is not a manufacturer of such goods as may be notified by the Government on the recommendations of the <sup>12</sup>[Council; and]
  - <sup>13</sup>[(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:]

Explanation inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 1/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

<sup>6</sup> Clause (a) substituted by CGST (Amendment) Act, 2018 (31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

<sup>&</sup>quot;(a) he is not engaged in the supply of services other than supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II;"

<sup>7</sup> Inserted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2022.

<sup>8</sup> Inserted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020 – Central Tax, dt. 22-12-2022.

<sup>9</sup> The words "goods A[or" omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

A Inserted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020 – Central Tax, dt. 22-12-2022.

<sup>10</sup> Inserted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020 – Central Tax, dt. 22-12-2022.

The word "and" omitted by Finance (No. 2) Act, 2019. It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

<sup>12</sup> Substituted for the word "Council:" by Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

<sup>13</sup> Clause (f) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

#### Central Goods & Services Tax Act, 2017

**Provided** that where more than one registered persons are having the same Permanent Account Number (issued under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under sub-section (1) unless all such registered persons opt to pay tax under that sub-section.

- <sup>14</sup>[(2A)Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent. of the turnover in State or turnover in Union territory, if he is not—
  - (a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;
  - **(b)** engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;
  - (c) engaged in making any supply of <sup>15</sup>[\*\*\*\*] services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;
  - (d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and
  - (e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

**Provided that** where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961.), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.]

(3) The option availed of by a registered person under sub-section (1) <sup>16</sup>[or subsection (2A), as the case may be,] shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit

<sup>14</sup> Sub-section (2A) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020 – Central Tax, dt. 01-01-2020.

The words "goods or" omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

<sup>16</sup> Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

specified under sub-section (1)  $^{17}$ [or sub-section (2A), as the case may be,].

- (4) A taxable person to whom the provisions of sub-section (1) <sup>18</sup>[or, as the case may be, sub-section (2A)] apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.
- (5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (1) <sup>19</sup>[or sub-section (2A), as the case may be,] despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, mutatis mutandis, apply for determination of tax and penalty.

<sup>20</sup>[Explanation 1.–For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year upto the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

**Explanation 2.–**For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State or turnover in Union territory" shall not include the value of following supplies, namely:–

- (i) supplies from the first day of April of a financial year upto the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.]

Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

<sup>18</sup> Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

<sup>19</sup> Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

Explanation 1 & Explanation 2 inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

# धारा 10 : संयुक्त उद्ग्रहण

- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं थी, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, <sup>1</sup>[धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर], जो विहित की जाए, किन्तु जो,—
  - (क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त और संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
  - <sup>2</sup>(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और
    - (ग) अन्य पूर्तिकारों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगाः

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को <sup>3</sup>[एक करोड़ पचास लाख रूपए] से अनधिक की ऐसी सीमा बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

- <sup>4</sup>[परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा।]
- <sup>5</sup>[स्पष्टीकरण—दूसरे परन्तुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के मूल्य के अवधारणा के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।]
- (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि –

<sup>1</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "उसके द्वारा संदेय कर के बदले, ऐसी दर पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>2</sup> केन्द्रीय माल और सेवा कर (किटनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 1/2019—केन्द्रीय कर.] दिनांक 01.02.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है— किटनाईयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा—

<sup>(</sup>i) धारा 10 की उप–धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कंपाजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

<sup>(</sup>ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारवर्त की गणना करने में।

<sup>3</sup> केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''एक करोड़ रूपये'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 02/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>4</sup> परन्तुक केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—क्रेन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>5</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

- <sup>6</sup>[**(क)** उपधारा (1) में यथाउपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;]
  - (ख) वह ऐसे माल <sup>7</sup>[या सेवाओं] की पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;
  - (ग) वह माल की किसी <sup>8</sup>[या सेवाओं] अंतरराज्यिक आवक पूर्ति करने में नहीं लगा है;
  - (घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी  $^9[.....$   $^{10}[.....]$  सेवाओं] की पूर्ति करने में नहीं लगा है;  $^{11}[.....]$
  - (ड.) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिन्हें सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, <sup>12</sup>[अधिसूचित किया जाए; और]
- 13[(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :]

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।

14[(2क) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में

<sup>6</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा खंड (क) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (क) इस प्रकार था :

<sup>&</sup>quot;(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;"

<sup>7</sup> वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92 / 2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

<sup>8</sup> वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

<sup>9</sup> वित्त अधिनियम, २०२३ द्वारा शब्द "माल <sup>A</sup>[या" विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

A वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

<sup>10</sup> वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

<sup>11</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा शब्द "और" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

<sup>12</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा शब्द ''अधिसूचित किया जाएः'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

<sup>13</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा खंड (च) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

<sup>14</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (2क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

- (क) किसी ऐसे मालों या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उदग्रहणीय है;
- (ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यिक जावक पूर्ति करने में नहीं लगा हैं;
- (ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से <sup>15</sup>[.....] सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित हैं;
- (घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और
- (ड.) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय—कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।

- (3) <sup>16</sup>[यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका सकल आवर्त <sup>17</sup>[यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा।
- (4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको <sup>18</sup>[यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

<sup>15</sup> वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्द "माल या" विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

<sup>16</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "उपधारा (1)" के स्थान पर अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

<sup>17</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "उपधारा (1)" के स्थान पर अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

<sup>18</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "उपधारा (1)" के स्थान पर अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, <sup>19</sup>[यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सिहत कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

<sup>20</sup>[स्पष्टीकरण 1.-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सिम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सिम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए 'किसी राज्य में आवर्त या किसी संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त' में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्ः

- (i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और
- (ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।]

<sup>19</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

<sup>20</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।